... किया गया। प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी गैरसायलान दिनांक 5/4/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

5/4/17 पत्रावली पेश हुई। वकील सायलान उपस्थित। गैरसायलान की ओर से श्री विष्णुदेव बंसल Ad. उपस्थित। P.O. साहब कैलादेवी मेले में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/5/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

10/5 पत्रावली पेश। वकील फरीकैन उपस्थित। P.O. साहब लोक अदालत में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

21/6/17 पत्रावली पेश। वकील गैरसायलान एवं गैरसायलान द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब की नकल सायलान को दिलाई गई। वकील सायलान उपस्थित नहीं है। सायलान उपस्थित जिन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

30/6/17 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान ने यह प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख.नं. 313, 314 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बिस्वा ग्राम रांचौली सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की संयुक्त है, जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नहीं है। सायलान गरीब मजदूर वर्ग है। गैरसायलान लाठी व पैसे वाले व्यक्ति, ताकतवर व राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्ति हैं। गैरसायलान, सायलान की व्यक्तिगत परिस्थितियों का लाभ उठाकर आराजी को छीनना चाहते हैं और सायलान को आये दिन परेशान करते हैं। फसलों को मवेशियों से भी उजड़वा देते हैं। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। सायलान नं. 1 के पति ने व अन्य परिवारजनों, प्रार्थीगण व उनके परिवारजनों के लोगों ने सम्वत 2065 में 2700/- रु दिनांक 29-4-15 को 24720/- रु दिनांक 11-7-13 को 13300/- रुपये व सम्वत 2068 को 9000/- रुपये

रामकुमारी

लक्ष्मण

राजफूल

(हस्ताक्षर)

P.T.O. लगातार

पूर्व में उधार लिये थे, जिनकी लिखापढ़ी भी गैरसायल रामप्र
ने अपनी कलम से की थी, जो मुझ सायला के पास मौजूद
जिनका तकाजा करने पर गैरसायलान ने मुझ सायला को
को दिनांक 30/1/17 को धमकी दी थी कि दुबारा पैसा मांगने से
पहले तीन लाख रुपये अपने जेब में रख लेना। हम तेरे विरुद्ध
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधि. के तहत एक झूठा
मुकदमा दर्ज करा देंगे उस मुकदमे में खर्च करने के लिए तुझे
कम से कम तीन लाख रुपयों की आवश्यकता होगी, तभी तेरी
अक्ल ठिकाने आयेगी। गैरसायलान दिनांक 3-2-17 को हम
सायलान की उक्त खातेदारी भूमि पर पत्थरों की झोली लेकर
आये और उस पर कब्जा करने के उद्देश्य से हम सायलान
की भूमि पर पत्थर डालकर कब्जा किया। मना करने पर मुझ
सायला के पति की मारपीट करने पर उतारू हो गये। उसी
दिनांक 3-2-17 को घटना की रिपोर्ट थाना म०डायल में पेश
की लेकिन पुलिस ने उसे दर्ज नहीं किया। यदि गैरसायलान ने
हमारी खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया तो सायलान को
अपूर्णीय क्षति होगी। सायलान के खातेदारी अधिकार समाप्त
हो जावेंगे। अन्त में गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत
कर कथन किया है कि खं.नं. 313 रकबा 11 बिस्वा पर सायलान
का पचासों वर्षों से कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उक्त
भूमि ख.नं. 313 पर कब्जा गैरसायलान के पिता भीका के
जीवनकाल से बगैर हक खातेदारी चला आ रहा है और
उक्त भूमि गैरसायलान के पिता व पिता के भाई छिद्दा, बाजीराम
मवासी को सायलान के पिता मनफूल से ख.नं. - 308 रकबा
10 बिस्वा के आदान-प्रदान में प्राप्त हुयी है। तभी से
गैरसायल काबिज काश्त है। गैरसायल ताकतवर पैसे वाले
व्यक्ति नहीं है। बल्कि गरीब अनुसूचित जाति के सदस्य है।
जब विवादित भूमि पर सायलान का कोई कब्जा काश्त ही
नहीं है। तब फसलों को गैरसायलान द्वारा मवेशियों से
उजड़वाने का कोई प्रश्न नहीं है। गैरसायल रामप्रकाश ने
सायला नं. 1 के पति व परिवारजन से कोई रकम उधार
कभी भी नहीं ली है। बल्कि सायलान पर गैरसायलान की
सिंचाई पिलाई की राशि सन् 2010 से 2015 तक की 49500/-
रुपये बकाया है जिसे गैरसायला द्वारा मांगने पर यह
भूमि सायला नं. 1 ने झगड़ा करने की बेनामी बयनामा कर रहे

(4)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	झूठा दावा गैरसायलान की पिलाई रकबे को हड़प करने की बदनीयती से पेश किया है। गैरसायलान का सायलान से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नहीं है। अन्त में प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। बहस वकील फरीकैन सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान ने प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। वकील गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सायलान का भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं भूमि गैरसायलान के पिता को सायलान नं. 2 व सायलान नं. 1 के साथिक खातेदार के पिता मनफूल से ख.नं. - 306 रकबा 1.01 बिस्वा के आदान - प्रदान से प्राप्त हुयी है और पचासों वर्षों से गैरसायलान का ख.नं. 313 पर कब्जा है। सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं है और प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। बहस वकील फरीकैन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से सायलान व गैरसायलान के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में सद्भावी विवाद है, जिसका निर्णय उभयपक्ष की साक्ष्य के बाद वादपत्र के अंतिम निर्णय से ही उभयपक्ष के हक-हकूक तय होने हैं। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि की तादेसला वादपत्र यथास्थिति रखा जाना ही उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को तादेसला वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 313 रकबा 11 बिस्वा ग्राम रांचोली की यथास्थिति बनाये रखें। ख.नं. 314 रकबा 2 बिस्वा में गैरसायलान, सायलान के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखकर आकर सुनाया गया।' (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** मण्डरायल (करौली)